

16⁹/₂₂ आज यह पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।
न्यायालय में बार-बार आवाज लगवाने
के बावजूद सायं 5.00 तक वादी एवं
वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं
हुआ।

अतः प्रकरण अदम हाजिरी
एवं अदम पेंची में खारिज किया जा रहा
है। पत्रावली अदम पेंची फैसल नुमार
होकर शबिल्टर ले कम की जावे।
बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल है।

SDO